रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2005/ज्येष्ठ 19, 1927
No. 588] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2005/JYAISTHA 19, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2005

का.आ. 799(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) 10 जून, 2003 को प्रवृत्त हुआ;

और अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) यह अपेक्षा करती है कि राज्य आयोगों द्वारा बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन होंगे;

और पूर्व प्रकाशन के लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है;

और कुछ राज्य आयोगों ने अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) के अधीन पूर्व प्रकाशन की अपेक्षा को पूरा किए बिना विनियम बनाए हैं और ऐसे विनियमों के अधीन विभिन्न कार्रवाइयां की गई हैं ;

और पूर्व प्रकाशन की अपेक्षा को पूरा किए बिना राज्य आयोगों द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन विभिन्न कार्रवाइयों की वैधता के बारे में कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं;

अब, अत:, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे विनियमों और उनके अधीन की गई कार्रवाईयों के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत (कठिनाइयों को दूर करना) (नौवां) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. राज्य आयोगों द्वारा बनाए गए विनियमों के पूर्व प्रकाशन :- अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) के अधीन पूर्व प्रकाशन की अपेक्षा को पूरा किए बिना इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व राज्य आयोगों द्वारा बनाए गए विनियमों को, विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए उनके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रारूप विनियमों के रूप में पुन: प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. विनियमों के अधीन की गई कार्रवाइयां :- पूर्व प्रकाशनों की अपेक्षा का अनुसरण किए बिना, इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व राज्य आयोगों द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन की गई कार्रवाई को सिर्फ विनियमों के पूर्व प्रकाशन का अनुपालन न करने के आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

[फा. सं. 23/26/2004-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2005

S.O. 799(E).—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) came into force on the 10th June, 2003;

And whereas sub-section (3) of Section 181 of the Act requires that the regulations made by the State Commissions shall be subject to the conditions of previous publication;

And whereas there is no specific provision in the Act for such previous publication;

And whereas some State Commissions have made regulations without meeting the requirement of previous publication under sub-section (3) of Section 181 of the Act and various actions have been taken under such regulations;

And whereas difficulties have arisen regarding the validity of various actions taken under the regulations made by State Commissions without meeting the requirement of previous publication;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by Section 183 of the Act hereby makes this order, in respect of such regulations and actions taken thereunder, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely :

1. Short title and commencement.— (1) This order may be called the Electricity (Removal of Difficulties) (Ninth) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Previous publication of regulations made by the State Commissions.— Regulations made by the State Commissions, before the commencement of this order, without meeting the requirement of the previous publication under sub-section (3) of Section 181 of the Act shall again be published as draft regulations for the information of persons likely to be affected thereby for inviting the objections or suggestions following the procedure prescribed under the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, and shall be finalised after considering such objections or suggestions received.

3. Action taken under regulations.— Any action taken under the regulations made by the State Commissions, before the commencement of this order, without following the requirement of previous publication shall not be deemed invalid merely on the ground of non-compliance of previous publication of regulations.

[F. No. 23/26/2004-R&R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.